किस्म मुकदमा	तारीख दायरा	तारीख फैसला	कैफियत	वर्गीकरण

124

न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर

व इजलास : डॉ साधना शर्मा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 90 / 2023

भीखाराम पुत्र श्रीचंद जाति जाटव निवासी ग्राम तौर दानियाल तहसील व जिला धौलपुर
.........वादी

बनाम

1– लक्ष्मण पुत्र नत्थीलाल । तहसील व जिला धौलपुर
2–राजेश । पुत्रगण ।
3–कल्याणसिंह । लक्ष्मण ।
4–बसन्त । ।
5–भागीरथ । ।
6–मुनेश । ।
7–लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय तहसील धौलपुर .... प्रतिवादी

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या : 77 / 2024

लक्ष्मण पुत्र श्री नत्थी जाति जाटव निवासी ग्राम तौर दानियाल तहसील व जिला धौलपुर
.........वादी

बनाम

1– सचिव ग्राम पंचायत दूबरा पंचायत समिति धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर
2–सरपंच ग्राम पंचायत दूबरा पंचायत समिति धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर
3– विकास अधिकारी पंचायत समिति धौलपुर जिला धौलपुर
4–श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट महोदय धौलपुर । ....प्रतिवादीगण
5–सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा धौलपुर जरिये प्रबंधक
6–लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय तहसील धौलपुर ....तरतीवी प्रतिवादी

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति : श्री शरीफ खॉ एडवोकेट, लक्ष्मण बगैरा की ओर से
श्री किरोरीलाल जाटव एडवोकेट भीखाराम की ओर से

<u>निर्णय</u> दिनांक : 03.03.2025

उक्त दोनों प्रकरण में समान विवादित आराजी एवं अनुतोष होने के कारण उक्त दोनों प्रकरणों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों प्रकरणों में शामिल की जावे।

प्रकरण संख्या : 90 / 2023:–

भीखाराम बगैरा ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध राजस्व वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय में प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी आराजी खसरा नम्बर 254 व 255 बाकै ग्राम तोर दानियाल तहसील व जिला धौलपुर का तन्हा खातेदार काश्तकार है व काबिज काश्त आराजी है, वादीगण की उक्त आराजी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की आराजी 369 के मध्य में गैर मुमकिन रास्ता की जमीन आराजी खसरा नम्बर 366 बाकै ग्राम तोर दानियाल तहसील धौलपुर में स्थित है, लेकिन गैर मुमकिन रास्ता की आराजी के रकवे की जमीन को प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 369 में मिला लिया है। दावा दायरी से 8 दिन पूर्व प्रतिवादीगण व प्रतिवादी संख्या 7 के अधीनस्थ कर्मचारी हल्का पटवारी वादी की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 254, 255 में सड़क निकालने हेतु सफेदी व निशानात लगाने लगे। वादी ने निवेदन किया कि गैर मुमकिन रास्ता वाली आराजी खसरा नम्बर 366 के रकवे में ही सड़क डाले तो प्रतिवादीगण ने वादी से कहा कि हम तो तेरी ही आराजी में से सड़क डालेंगे। प्रतिवादीगण ने आराजी खसरा नम्बर 369 में रास्ता के खसरा नम्बर 366 की जमीन को तोड़कर अपनी खातेदारी की आराजी में मिला लिया है, अर्थात अतिक्रमण कर लिया है। इसलिए उक्त

सहायक कलेक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज०)

किस्म मुकदमा	तारीख दायरा	तारीख फैसला	कैफियत	वर्गीकरण

124

अतिक्रमण को हटाते हुए गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 366 में से ही सड़क डालने का निवेदन किया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण की ओर जबाबदावा प्रस्तुत किया गया कि वादी ने अपनी खातेदार काश्तकारी की आराजी खसरा नम्बर 254, 255 में आवासीय भूखण्ड बनाकर भिन्न–भिन्न लोंगो को बयनामा कर दिये हैं तथा वादी ने आम रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है। तथा वादी की मंशा है कि गैरमुमकिन भूमि पर कब्जा कर आम रास्ते की क्षतिपूर्ति उत्तरदाता की खातेदारी की आराजी में से पूरी करने की है। वादी ने खसरा नम्बर 254, 255 में भूखण्ड बनाकर जिन क्रेताओं को विक्रय किया गया है, ना तो वादी ने उन्हें जानकारी दी ना ही बताया व उनसे तथ्यों को छिपाया है, खसरा नम्बर 254, 255 में जब अन्य भूखण्ड लेने वाले साधिकार मालिक व स्वामी है, तो वादी का क्लीन हैण्ड से उन्हें पक्षकार प्रकरण बनाया जाना चाहिए वाद में आवश्यक पक्षकारों को जोड़े जाने के बाबत् दोष है। इसलिए दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण संख्या : 77 / 2024:–

वादी ने प्रतिवादीगण के खिलाफ राजस्व वाद वावत् स्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय में इन तथ्यों के साथ पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 787 / 369 रकवा 0.2023 विस्वा बाकै ग्राम तोर दानियाल पटवार हल्का दूबरा तहसील व जिला धौलपुर के वादीगण पूर्ण भाग के अभिलिखित खातेदार कृषक है। वादी के उक्त खसरा नम्बर से सटा हुआ आम रास्ता है तथा जो आम रास्ता की भूमि स्थापित है वादी की खातेदारी के खसरा नम्बर 787 / 369 व अन्य खातेदार की खसरा नम्बर 787 / 369 व अन्य खातेदार की खसरा नम्बर 255 के मध्य गैर मुमकिन आम रास्ते की भूमि है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 राज्य सरकार के विभाग है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 पंचायती राज विभाग के अधीन कार्य करने वाले सरकारी विभाग है तथा उनके विरूद्ध दावा करने से पूर्व कानूनी नोटिस पूर्व में ही जारी किया जा चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 4 राज्य सरकार के प्रतिनिधि है उक्त सभी पर यथा समय कानूनी नोटिस प्रेषित किया जा चुका है। परन्तु प्रतिवादीगण ने वादी द्वारा कानूनी नोटिस जो दिनांक 30.05.2024 को अपने अधिवक्ता द्वारा दिलवाया जो यथा समय प्रतिवादीगण को प्राप्त हो गया परन्तु प्रतिवादीगण ने वादी के नोटिस का कोई जबाब नहीं दिया तथा प्रतिवादीगण की ओर से वादी की खातेदारी की भूमि में से रास्ता निकालने की स्वयं व उसके प्रतिनिधियों द्वारा धमकी दी जा रही है। तथा जबरदस्ती बलपूर्वक खातेदारी की आराजी में से रोड़ निकालने पर आमादा है जबकि मौके पर गैर मुमकिन रास्ता है जो मौके पर मौजूद है तथा उसी से आम जनता का आवागमन होता है। प्रतिवादीगण संख्या 1 सचिव ग्राम पंचायत दूबरा जानबूझकर वादी को नुकसान पहूँचाने की नीयत से उसकी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 787 / 369 में से रास्ता / सड़क निकालना चाहते है। जिसके बाबत् प्रतिवादीगण की ओर से वादी की खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 787 / 369 बाबत् ना तो भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही ना ही भूमि अवाप्ति की गई ना ही वादी को प्रतिवादीगण की ओर से भूमि अवाप्ति की कार्यवाही बाबत् कोई सूचना दी ना ही अखबार या किसी अन्य प्रकार से वादी को सूचित किया ना ही भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत कोई कार्यवाही सांस्थित हुई। प्रतिवादी संख्या 1 का कहना है कि वह वादी की आराजी में प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 के कहने पर व आदेश से वादी की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 787 / 369 में से रास्ता निकालेंगे, वादी कुछ नहीं कर सकता। वादी ने प्रतिवादीगण से मौखिक व जरिये नोटिस निवेदन किया कि वे बिना समुचित प्रकार से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही किये वादी के आराजी में से रास्ता या सड़क नहीं निकाले तथा रास्ते की भूमि पर जिन लोंगो ने अतिक्रमण कर रखा है उसे खाली कराया जाये। दावा दायरी से एक हफ्ते पहले प्रतिवादी संख्या 1 ने धमकी दी कि प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 का आदेश है कि वादी की खातेदारी में से सड़क निकालेंगें वादी की आराजी अधिग्रहण बाबत् ना तो कार्यवाही करेंगे, ना मुआवजा देंगे, वादी ने सभी प्रतिवादीगण के कार्यालय में जाकर व्यक्तिगत निवेदन किया सभी ने सड़क डालने की बात कही। इसलिए वादी ने दावा इसलिए प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया है।

उभयपक्ष अपने–अपने वाद पत्र में गैर मुमकिन रास्ता आराजी खसरा नम्बर 366 बाकै ग्राम तोर दानियाल तहसील व जिला धौलपुर पर एकदूसरे के द्वारा अतिक्रमण किये जाने का

...संख्या	कैफियत	वर्गीकरण

124

कथन करते हुए आये है। विकास अधिकारी धौलपुर एवं तहसीलदार धौलपुर से उक्त संबंध में मौके की वस्तुस्थिति रिपोर्ट तलब की गई। अपनी रिपोर्ट में विकास अधिकारी ने मौका पर्चा प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि राजस्व ग्राम तोर दानियाल स्थित आराजी खसरा नम्बर 366 रकवा 0.1138 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता सिवायचक दर्ज रिकार्ड है। उक्त रास्ते की चौडाई को लेकर खसरा नम्बर 255 एवं खसरा नम्बर 787/369 के मध्य विवाद था। जिसको मुताबिक राजस्व नक्शे के ख0 नम्बर 787/369 एवं खसरा नम्बर 255 की सीमाएं नापकर रास्ते की चौडाई चिन्हित की गई मुताबिक राजस्व नक्शे के खसरा नम्बर 254 रकवा 0.0126 हैक्टेयर, किस्म गैर मुमकिन कुआं जो कि निजी खातेदारी में है। वह रास्ते के अन्तर्गत ही नक्शा में बना हुआ है। कुए के पास रास्ते की चौडाई मात्र एक गट्ठा है। खसरा नम्बर 255 के खातेदार भीकाराम पुत्र श्रीचंद जाति जाटव द्वारा खसरा नम्बर 366 रास्ते की भूमि पर 14 X 46 वर्ग फीट में दो झोपडी टीननुमा डालकर अतिक्रमण कर रखा है। मौके पर रास्ते की चौडाई के निशानात कनिष्ठ अभियंता पीडब्ल्यूडी धौलपुर एवं ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत दूबरा को बताए गये। गैर मुमकिन रास्ता राजस्व विभाग के अन्तर्गत्त होने के कारण उस पर से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया है।

विकास अधिकारी धौलपुर एवं तहसीलदार धौलपुर की रिपोर्ट पर बहस हेतु वकील उभयपक्ष को आवाज लगाई गई। लक्ष्मण की ओर श्री शरीफ खान एडवोकेट उपस्थिति एवं भीखाराम की ओर से कोई उपस्थित नहीं ना ही उनके कोई वकील उपस्थित आये। विद्वान अभिभाषक श्री शरीफ खान एडवोकेट ने कथन किया कि गैर मुमकिन रास्ता पर अतिक्रमण भीखाराम बगैरा द्वारा किया गया है। और हमारे रकबे में घुस कर रास्ता निकालना चाहते है। इसलिए भीखाराम बगैरा को इस आशय से पाबंद किये जाने की प्रार्थना की है कि वह आराजी खसरा नम्बर 366 किस्म गैर मुमकिन रास्ता बाकै ग्राम तोर दानियाल तहसील व जिला धौलपुर पर कब्जा नहीं करें और ना ही लक्ष्मण बगैरा के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 787/369 बाकै ग्राम तोर दानियाल तहसील व जिला धौलपुर में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना करें।

हमने विद्वान अभिभाषक वादीगण की एकपक्षीय वहस सुनी। प्रस्तुत वहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। विकास अधिकारी धौलपुर एवं तहसीलदार धौलपुर की रिपोर्ट के साथ संलग्न मौका पर्चा रिपोर्ट पटवारी हल्का, का अवलोकन किया, पटवारी हल्का के मौका पर्चा रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि भीखाराम ने आराजी खसरा नम्बर 366 बाकै ग्राम तोर दानियाल तहसील व जिला धौलपुर पर अतिक्रमण कर रखा है। उक्त रिपोर्ट के बाबत् भीखाराम बगैरा एवं उनके वकील द्वारा कोई भी जबाब नहीं दिया गया है। और ना ही प्रभावी रूप से प्रकरण में पैरवी की जा रही है।

<u>आदेश</u>

अतः आदेश है कि दावा प्रकरण संख्या 90/2023 उनवानी भीखाराम बनाम लक्ष्मण बगैरा खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। प्रकरण संख्या 77/2024 उनवानी लक्ष्मण बनाम सचिव ग्राम पंचायत दूबरा बगैरा आंशिक रूप से डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 787/369 में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेत नहीं करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार धौलपुर को आदेश दिये जाते है, कि वह आराजी खसरा नम्बर 366 किस्म गैर मुमकिन रास्ता बाकै ग्राम तोर दानियाल तहसील व जिला धौलपुर पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया जाकर उभयपक्ष को पाबंद करें कि वह आराजी खसरा नम्बर 366 पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करें और ना ही रास्ता अवरूद्ध करें और रास्ते पर होने वाले आवागमन में किसी भी प्रकार की रूकावट पैदा ना करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. साधना शर्मा)
सहायक कलक्टर (मुख्यालय)
धौलपुर

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
अज अदालत : सहायक कलक्टर (मुख्यालय) धौलपुर
व इजलास : डॉ साधना शर्मा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 90 / 2023
भीखाराम पुत्र श्रीचंद जाति जाटव निवासी ग्राम तौर दानियाल तहसील व जिला धौलपुर
......वादी

बनाम

1– लक्ष्मण पुत्र नत्थीलाल । तहसील व जिला धौलपुर
2–राजेश । पुत्रगण ।
3–कल्याणसिंह। लक्ष्मण ।
4–बसन्त । ।
5–भागीरथ । ।
6–मुनेश । ।
7–लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय तहसील धौलपुर
.... प्रतिवादी

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या : 77 / 2024

लक्ष्मण पुत्र श्री नत्थी जाति जाटव निवासी ग्राम तौर दानियाल तहसील व जिला धौलपुर
.........वादी

बनाम

1– सचिव ग्राम पंचायत दूबरा पंचायत समिति धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर
2–सरपंच ग्राम पंचायत दूबरा पंचायत समिति धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर
3– विकास अधिकारी पंचायत समिति धौलपुर जिला धौलपुर
4–श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट महोदय धौलपुर । ....प्रतिवादीगण
5–सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा धौलपुर जरिये प्रबंधक
6–लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय तहसील धौलपुर ....तरतीवी प्रतिवादी

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ साधना शर्मा (आर.ए.एस.) व हाजिरी श्री शरीफ खान एडवोकेट लक्ष्मण बगैरा पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा प्रकरण संख्या 90 / 2023 उनवानी भीखाराम बनाम लक्ष्मण बगैरा खारिज किया जाता है। दावा प्रकरण संख्या 77 / 2024 उनवानी लक्ष्मण बनाम सचिव ग्राम पंचायत दूबरा बगैरा आंशिक रूप से डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 787 / 369 में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेत नहीं करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार धौलपुर को आदेश दिये जाते है, कि वह आराजी खसरा नम्बर 366 किस्म गैर मुमकिन रास्ता बाकै ग्राम तोर दानियाल तहसील व जिला धौलपुर पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया जाकर उभयपक्ष को पाबंद करें कि वह आराजी खसरा नम्बर 366 पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करें और ना ही रास्ता अवरूद्ध करें और रास्ते पर होने वाले आवागमन में किसी भी प्रकार की रूकावट पैदा ना करें।

वशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 03.03.2025 को जारी की गई।

(डॉ साधना शर्मा)
सहायक कलक्टर (मु0)
धौलपुर